



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ 1943 (श0)
(सं0 पटना 41) पटना, शुक्रवार, 28 जनवरी 2022

सं० 15/एम 1-105/2017-44
शिक्षा विभाग

1. dYi

10 जनवरी 2022

फ0क"क; %& jkT; 1jdkj }kjk LFkffir@lpkfy jkt dh; egkfo|ky;k dh LFkkiuk ,o 'k{kf.kd 0;oLFk
lcf/kr fo'of0|ky;k dk gLrkrfjr djr g, bu egkfo|ky;k dk lcf/kr fo'of0|ky;k
dh vxhHkr bdkb. d : i e ekU;rk inku dju dh LohdfrA

राज्य सरकार उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सम्यक् विकास हेतु प्रयत्नशील है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है।

2. राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार राज्य के वैसे सभी अनुमण्डल जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय स्थापित/संचालित नहीं है, उन अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है।

3. इस श्रेणी में चिन्हित किए गए 18 अनुमण्डलों में से 06 अनुमण्डलों में शिक्षा विभागीय संकल्प संख्या 505 दिनांक 24.02.2019 द्वारा निम्नांकित सरकारी डिग्री महाविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की गई है :-

- अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बेनीपुर, दरभंगा
- अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, मधुबन, पूर्वी चम्पारण
- अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, वायसी पूर्णियाँ
- अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, राजगीर, नालन्दा
- अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बगहा, प0 चम्पारण एवं
- अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, शिवहर, शिवहर।

4. इसके साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा विशेष भौगोलिक/क्षेत्रीय परिस्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए अधोलिखित 04 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है :-

- अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, धमदाहा, पूर्णियाँ (2019)
- अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, नौहट्टा, रोहतास (2019)
- सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अरवल (2019) एवं
- राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय, जमुई (2018) ।

5. राज्य सरकार के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के सदृश्य इन महाविद्यालयों की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था में एकरूपता रखने की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपर्युक्त कंडिका 3 एवं 4 में वर्णित 10 महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालय, जिससे सम्प्रति ये संबद्धता प्राप्त है, की अंगीभूत ईकाई के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

6. इनके साथ-साथ यह भी संसूचित किया जाता है कि अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय रहित शेष 12 अनुमण्डलों में भी राज्य सरकार द्वारा भविष्य में स्थापित किए जाने वाले सरकारी डिग्री महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले विश्वविद्यालयों की अंगीभूत ईकाई के रूप में मान्य किया जाएगा।

7. इस प्रकार के कुल 10 स्थापित/संचालित सरकारी महाविद्यालयों एवं भविष्य में स्थापित होने वाले 12 महाविद्यालयों अर्थात् कुल 22 महाविद्यालयों एवं जिन विश्वविद्यालयों से इनका अंगीभूतिकरण किया जा रहा है/होगा, उनकी विवरणी निम्नवत् है :-

00	egkfo ky; dk uke	egkfo ky; dh orieku Jl. kh	fo'ofa ky; dk uke ft l l LrEhk 02 e vfd r egkfo ky; vxhHkr gkx
01	02	03	04
01	अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बेनीपुर, दरभंगा	अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में राज्य सरकार द्वारा स्थापित	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
02	अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, मधुबन, पूर्वी चम्पारण	अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में राज्य सरकार द्वारा स्थापित	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
03	अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, वायसी पूर्णियाँ	अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में राज्य सरकार द्वारा स्थापित	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ
04	अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, राजगीर, नालन्दा	अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में राज्य सरकार द्वारा स्थापित	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
05	अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बगहा, प0 चम्पारण	अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में राज्य सरकार द्वारा स्थापित	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
06	अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, शिवहर, शिवहर	अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में राज्य सरकार द्वारा स्थापित	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
07	अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, धमदाहा, पूर्णियाँ	राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में स्थापित	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ
08	अनुमण्डल सरकारी डिग्री महाविद्यालय, नौहट्टा, रोहतास	राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में स्थापित	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
09	सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अरवल	राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में स्थापित (माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा)	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
10	राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय, जमुई	राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में स्थापित (माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा)	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर
11	सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	बी0एन0 मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
12	मनिहारी (कटिहार)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ
13	तेघडा (बेगूसराय)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
14	बलिया (बेगूसराय)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
15	बखरी (बेगूसराय)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

00	egkfo ky; dk uke	egkfo ky; dh or'eku Ji.kh	fo'ofo ky; dk uke ft l l LrEHk 02 e vfd r egkfo ky; vxhHkr gkx
01	02	03	04
16	नीमचक बथानी (गया)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
17	जगदीशपुर (भोजपुर)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
18	त्रिवेणीगंज (सुपौल)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	बी0एन0 मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
19	रजौली (नवादा)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
20	पीरो (भोजपुर)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
22	पुपरी (सीतामढ़ी)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
22	महुआ (वैशाली)	महाविद्यालय रहित अनुमण्डल में प्रस्तावित	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

8. उक्त सभी सरकारी डिग्री महाविद्यालयों की आस्तियाँ एवं देयताएँ अंगीभूतीकरण संबंधी संकल्प निर्गत होने की तिथि से संबंधित विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित हो जाएगी।

9. इन सरकारी महाविद्यालयों के लिए में पूर्व से सृजित किए गए पदों को संबंधित विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित करने के बिंदु पर विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार की सहमति से अलग से कार्रवाई की जाएगी।

vkn:'k & vkn:'k fn;k tkrk g fd bl l dYi dk fcgkj jkt i= e tul k/kkj.k dh lpuk gr
vxy v d e i:dkf'kr fd;k tk,A

बिहार—राज्यपाल के आदेश से/
अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 41-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>